



52

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALTA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON WAIVER OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

The Government of the Republic of Malta and the Government of the Republic of India hereinafter referred to as the "Contracting Parties"

Considering the conversations held by the authorities of our respective countries, aimed at strengthening the traditional links of friendship and collaboration existing between the two Governments, and

Desiring to increase the cooperation between their respective countries, in order to facilitate the entry and the exit of the holders of Diplomatic Passports of both Contracting Parties,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Nationals of the Contracting Parties who are holders of valid diplomatic passports may enter into, exit from, transit through and stay in the territory of the other Contracting Party, without a visa for a period of time not exceeding ninety (90) days in a year from the date of entry.

ARTICLE 2

Nationals of either Contracting Party, holding valid diplomatic passports and accredited in the territory of the other Contracting Party, as well as their spouse and children, who accompany them and live with them, shall be required to obtain visa prior to their arrival in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

Holders of diplomatic passports of either Contracting Party may enter into, transit through and depart from the official border points. This Agreement does not exempt nationals of the Contracting Parties from their obligation to respect the laws of the other Contracting Party during their stay in its territory.

ARTICLE 4

Each Contracting Party reserves the right to refuse entry or to terminate the stay of persons considered undesirable or likely to endanger the public peace or public order or public health or national security.

ARTICLE 5

Each Contracting Party may suspend this Agreement either in whole or in part, due to reasons of public order or security or health protection. The suspension shall be notified in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 6

1. The Contracting Parties will exchange, through diplomatic channels, samples of valid Diplomatic and Official passports, within thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.

2. In case of any modification of the Diplomatic passport, the Contracting Parties will exchange through diplomatic channels, their new specimen and information about the applicability of the valid diplomatic passport, within thirty days from its circulation.

ARTICLE 7

Any dispute arising between the Contracting Parties concerning the interpretation and implementation or application of this Agreement shall be settled through consultations and negotiations, without reference to any third party or an international tribunal.

ARTICLE 8

Any amendments of this Agreement may be carried out on the basis of written consent between the Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with Article 10 of this Agreement.

ARTICLE 9

Either Contracting Party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other Contracting Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of notification.


ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties notify each other the completion of internal legal procedures that are necessary for its entering into force.

Done at New Delhi on 10/11/13 in two originals, each in Hindi, _____ and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.


For the Government of the
Republic of Malta

Name: DR E W VELLA
Designation: Minister for Foreign Affairs



For the Government of the
Republic of India

Name: _____
Designation: _____





**राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा अपेक्षाओं से छूट देने के संबंध में
माल्टा गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार**

माल्टा गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी पक्षकार कहा गया है।

दोनों सरकार के बीच वर्तमान मैत्री संबंधों तथा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने का उद्देश्य से संबंधित देशों के अधिकारियों के बीच आयोजित वार्ता को ध्यान में रखते हुए तथा दोनों संविदाकारी पक्षकारों के राजनयिक पासपोर्ट धारकों के प्रवेश एवं प्रस्थान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने संबंधित देशों के बीच सहयोग संवर्धित करने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

संविदाकार पक्षकारों के वैध राजनयिक पासपोर्ट धारक राष्ट्रिक अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं, पारगमन कर सकते हैं तथा प्रवेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अधिकतम 90 दिनों के लिए प्रवास कर सकते हैं।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक संविदाकार पक्षकार के वैध राजनयिक वीजा धारक तथा अन्य संविदाकारी पक्षकार के भू-भाग में प्राधिकृत राष्ट्रिकों के साथ-साथ उनके साथ जाने वाले और उनके साथ रहने वाले पति-पत्नी तथा बच्चों को अन्य संविदाकारों के भू-भाग में आगमन से पूर्व वीजा प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के राजनयिक पासपोर्ट धारक सरकारी सीमा स्थलों से प्रवेश कर सकते हैं, उनके माध्यम से पारगमन कर सकते हैं तथा प्रस्थान कर सकें। इस करार से संविदाकारी पक्षकारों के राष्ट्रिकों को अन्य संविदाकार पक्षकार के भू-भाग में अपने प्रवास के दौरान उसके कानूनों का सम्मान करों के दायित्व से छूट नहीं मिलनी।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक संविदाकार पक्ष के पास ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश से इनकार करने तथा प्रवास को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जिन्हें अवांछनीय समझा गया है अथवा जिनके लोक शान्ति अथवा लोक व्यवस्था अथवा लोक स्वास्थ्य अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संविदाकार पक्ष लोक सुरक्षा अथवा सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य सुरक्षा के कारणों से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से इस करार को समाप्त कर सकता है। इस समाप्ति के बारे में अन्य संविदाकार पक्ष को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

1. संविदाकार पक्ष इस करार के लागू होने के 30 दिनों के भीतर राजनयिक माध्यमों से वैध राजनयिक और सरकारी पासपोर्टों के नमूने का आदान-प्रदान करेगा।
2. राजनयिक पासपोर्ट में किसी संशोधन के मामले में संविदाकार पक्ष राजनयिक माध्यमों से वैध राजनयिक पासपोर्ट के परिचालन के 30 दिनों के भीतर उनके नए नमूने तथा उनको लागू करने के बारे में सूचना का आदान-प्राप्त करेंगे

अनुच्छेद 7

इस करार के लागू होने अथवा कार्यान्वयन तथा व्याख्या के संबंध में संविदाकार पक्षों के बीच उत्पन्न किसी विवाद का समाधान किसी तृतीय पक्ष अथवा अन्तरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को संदर्भ किए बिना परामर्श अथवा बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

इस करार में कोई भी संशोधन संविदाकार पक्षकारों के बीच लिखित सहमति के आधार पर किया जाएगा। ऐसे संशोधन इस करार के अनुच्छेद 10 के अनुसार लागू होंगे।

अनुच्छेद 9

प्रत्येक संविदाकार पक्षकार राजनयिक माध्यमों से अन्य संविदाकार पक्षकार को लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। यह समाप्ति अधिसूचना की तारीख के 90 दिनों के बाद लागू होगी।

अनुच्छेद 10

यह करार राजनयिक माध्यमों से अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से लागू होगा, जिसमें संविदाकार पक्षकार एक दूसरों को इस करार को लागू करने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरा होने के बारे में अधिसूचित करेंगे।

ruselli को 10/11/13 2 हिन्दी व अंग्रेजी की 2 मूल प्रतियों में सम्पन्न सभी दोनों पाठ समाज रूप से प्रमाणिक हैं तथा निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

माल्टा गणराज्य की
सरकार की ओर से
नाम-----
पदनाम-----

Dr. G. W. B. B. B.
Director for
Foreign Affairs

25/11/13
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
नाम-----
पदनाम-----